



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267810
CG-DL-E-19112025-267810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5095]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947

No. 5095]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2025

का.आ. 5265(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में NH34 के कि.मी. 122.6 से कि.मी.135.9 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एसडीओ बिजावर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में NH34 के कि.मी. 122.6 से कि.मी.135.9 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: छतरपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बिजावर					
गांव का नाम: रजपुरा					
1	79	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.239 (हेक्टेयर)	0.239
2	80	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.178 (हेक्टेयर)	0.178
3	81	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.259 (हेक्टेयर)	0.259
4	82	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.36 (हेक्टेयर)	0.36
5	83	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.251 (हेक्टेयर)	0.251
6	84	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.263 (हेक्टेयर)	0.263
गांव का नाम: गुलगंज					
7	1140	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.603 (हेक्टेयर)	0.603
8	1141	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.607 (हेक्टेयर)	0.607
9	1142	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.607 (हेक्टेयर)	0.607
10	1546/1/1	निजी (निजी)	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
11	1546/1/2	निजी (निजी)	सिंचित	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
12	1546/2	निजी (निजी)	सिंचित	0.11 (हेक्टेयर)	0.11
13	1556	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.186 (हेक्टेयर)	0.186

		सरकारी)			
14	1557	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.158 (हेक्टेयर)	0.158
15	1558	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.182 (हेक्टेयर)	0.182
16	1564	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.247 (हेक्टेयर)	0.247
17	1565	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.219 (हेक्टेयर)	0.219
18	1566	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.324 (हेक्टेयर)	0.324
19	1570	निजी (निजी)	सिंचित	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
20	1571	निजी (निजी)	सिंचित	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
21	1572	सरकारी (सरकारी)	नाली	0.117 (हेक्टेयर)	0.117
22	1573	सरकारी (सरकारी)	बंजर	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
23	1574/2	निजी (निजी)	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
24	1736/2	निजी (निजी)	सिंचित	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
25	1736/3	निजी (निजी)	सिंचित	0.046 (हेक्टेयर)	0.046
26	1741/3	निजी (निजी)	सिंचित	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
27	1743/1, 1743/2	सरकारी (सरकारी)	चारागाह / चारनोई	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
28	1751	निजी (निजी)	सिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
29	1752	निजी (निजी)	सिंचित	0.121 (हेक्टेयर)	0.121
30	1753	निजी (निजी)	सिंचित	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
31	501/1	निजी (निजी)	सिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
32	501/2	निजी (निजी)	व्यवसायिक	0.123 (हेक्टेयर)	0.123
33	611/1 + 611/2	निजी (निजी)	सिंचित / व्यवसायिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
34	679	निजी (निजी)	सिंचित	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
35	696	निजी (निजी)	पड़त	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
36	798	निजी (निजी)	बंधान	0.111 (हेक्टेयर)	0.111
37	820	निजी (निजी)	सिंचित	0.14 (हेक्टेयर)	0.14

38	821/1	निजी (निजी)	सिंचित	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
39	821/2	निजी (निजी)	सिंचित	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
40	908	निजी (निजी)	सिंचित	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
41	909	सरकारी (सरकारी)	बंजर	0.162 (हेक्टेयर)	0.162
42	910/1/1	निजी (निजी)	सिंचित	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
43	910/1/2	निजी (निजी)	सिंचित	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
44	910/1/3	निजी (निजी)	पड़ती	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
गांव का नाम: अंगोर					
45	1015/1	निजी (निजी)	सिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
46	1015/2	निजी (निजी)	सिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
47	1084	सरकारी (सरकारी)	सड़क	1.262 (हेक्टेयर)	1.262
48	1085	सरकारी (सरकारी)	सड़क	1.707 (हेक्टेयर)	1.707
49	1086	सरकारी (सरकारी)	सड़क	1.501 (हेक्टेयर)	1.501
50	1306	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.326 (हेक्टेयर)	0.326
51	1307	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.227 (हेक्टेयर)	0.227
52	1308	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.251 (हेक्टेयर)	0.251
53	1320	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.344 (हेक्टेयर)	0.344
54	1321	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.367 (हेक्टेयर)	0.367
55	1322	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.384 (हेक्टेयर)	0.384
56	4602/1 + 4602/2	निजी (निजी)	सिंचित	0.27 (हेक्टेयर)	0.27
57	4763/1	निजी (निजी)	सिंचित	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
58	6552	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.737 (हेक्टेयर)	0.737
59	6553	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.729 (हेक्टेयर)	0.729

60	6554	सरकारी (सरकारी)	सड़क की पटरी	0.829 (हेक्टेयर)	0.829
61	6645	सरकारी (सरकारी)	सड़क की पटरी	0.906 (हेक्टेयर)	0.906
62	6646	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.914 (हेक्टेयर)	0.914
63	6647	सरकारी (सरकारी)	सड़क की पटरी	0.934 (हेक्टेयर)	0.934
64	6767	सरकारी (सरकारी)	सड़क की पटरी	0.38 (हेक्टेयर)	0.38
65	6768	सरकारी (सरकारी)	सड़क	0.632 (हेक्टेयर)	0.632
66	6769	सरकारी (सरकारी)	सड़क की पटरी	0.627 (हेक्टेयर)	0.627
67	685	निजी (निजी)	सिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
Total					20.944

[फा. सं. NHAI/PIU/CHHP/Eco. Corri./Sagar-Kabrai/3a/2017/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th November, 2025

S.O. 5265(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH34 in the stretch of land from Km. 122.6 to Km. 135.9 in the district of CHHATARPUR in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO Bijawar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH34 in the stretch of land from Km. 122.6 to Km. 135.9 in the district of CHHATARPUR in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: CHHATARPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bijavar					
Village: Rajpura					
1	79	Government	Road	0.239 (Hectare)	0.239
2	80	Government	Road	0.178 (Hectare)	0.178
3	81	Government	Road	0.259 (Hectare)	0.259
4	82	Government	Road	0.36 (Hectare)	0.36
5	83	Government	Road	0.251 (Hectare)	0.251
6	84	Government	Road	0.263 (Hectare)	0.263
Village: Gulganj					
7	1140	Government	sadak	0.603 (Hectare)	0.603
8	1141	Government	Sadak	0.607 (Hectare)	0.607
9	1142	Government	Sadak	0.607 (Hectare)	0.607
10	1546/1/1	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
11	1546/1/2	Private	Irrigated	0.015 (Hectare)	0.015
12	1546/2	Private	Irrigated	0.11 (Hectare)	0.11
13	1556	Government	Sadak	0.186 (Hectare)	0.186
14	1557	Government	sadak	0.158 (Hectare)	0.158
15	1558	Government	Sadak	0.182 (Hectare)	0.182
16	1564	Government	Sadak	0.247 (Hectare)	0.247
17	1565	Government	Sadak	0.219 (Hectare)	0.219
18	1566	Government	Sadak	0.324 (Hectare)	0.324
19	1570	Private	Irrigated	0.2 (Hectare)	0.2
20	1571	Private	Irrigated	0.056 (Hectare)	0.056
21	1572	Government	Nali	0.117 (Hectare)	0.117
22	1573	Government	Banjar	0.024 (Hectare)	0.024
23	1574/2	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
24	1736/2	Private	Irrigated	0.023 (Hectare)	0.023
25	1736/3	Private	Irrigated	0.046 (Hectare)	0.046
26	1741/3	Private	Irrigated	0.1 (Hectare)	0.1
27	1743/1, 1743/2	Government	Charagah / Charnoi	0.12 (Hectare)	0.12
28	1751	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
29	1752	Private	Irrigated	0.121 (Hectare)	0.121
30	1753	Private	Irrigated	0.1 (Hectare)	0.1
31	501/1	Private	Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
32	501/2	Private	Commercial	0.123 (Hectare)	0.123
33	611/1 + 611/2	Private	Irrigated / Commercial	0.005 (Hectare)	0.005

34	679	Private	Irrigated	0.38 (Hectare)	0.38
35	696	Private	Padat	0.065 (Hectare)	0.065
36	798	Private	Bandhan	0.111 (Hectare)	0.111
37	820	Private	Irrigated	0.14 (Hectare)	0.14
38	821/1	Private	Irrigated	0.1 (Hectare)	0.1
39	821/2	Private	Irrigated	0.05 (Hectare)	0.05
40	908	Private	Irrigated	0.14 (Hectare)	0.14
41	909	Government	Banjar	0.162 (Hectare)	0.162
42	910/1/1	Private	Irrigated	0.38 (Hectare)	0.38
43	910/1/2	Private	Irrigated	0.017 (Hectare)	0.017
44	910/1/3	Private	Padti	0.008 (Hectare)	0.008
Village: Angor					
45	1015/1	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
46	1015/2	Private	Irrigated	0.02 (Hectare)	0.02
47	1084	Government	Sadak	1.262 (Hectare)	1.262
48	1085	Government	Sadak	1.707 (Hectare)	1.707
49	1086	Government	Sadak	1.501 (Hectare)	1.501
50	1306	Government	Sadak	0.326 (Hectare)	0.326
51	1307	Government	Sadak	0.227 (Hectare)	0.227
52	1308	Government	Sadak	0.251 (Hectare)	0.251
53	1320	Government	Sadak	0.344 (Hectare)	0.344
54	1321	Government	Sadak	0.367 (Hectare)	0.367
55	1322	Government	Sadak	0.384 (Hectare)	0.384
56	4602/1 + 4602/2	Private	Irrigated	0.27 (Hectare)	0.27
57	4763/1	Private	Irrigated	0.07 (Hectare)	0.07
58	6552	Government	Sadak	0.737 (Hectare)	0.737
59	6553	Government	Sadak	0.729 (Hectare)	0.729
60	6554	Government	Sadak ki patri	0.829 (Hectare)	0.829
61	6645	Government	Sadak Ki Patri	0.906 (Hectare)	0.906
62	6646	Government	Sadak	0.914 (Hectare)	0.914
63	6647	Government	Sadak Ki Patri	0.934 (Hectare)	0.934
64	6767	Government	Sadak ki patri	0.38 (Hectare)	0.38
65	6768	Government	Sadak	0.632 (Hectare)	0.632
66	6769	Government	Sadak Ki patri	0.627 (Hectare)	0.627
67	685	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
Total					20.944

[F. No. NHAI/PIU/CHHP/Eco. Corri./Sagar-Kabrai/3a/2017/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director